प्रेस नोट थाना सदर बाजार
जनपद शाहजहांपुर

सरहानीय कार्य दिनांक 06.01.2025

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गये अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 05.01.2025 को मुकदमा वादिनी द्वारा थाना सदर बाजार पर तहरीर दी गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी के गाँव में रहने वाले गंगाधर उर्फ गंगादीन पुत्र स्व0 नत्थू लाल नि0 थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर क्षेत्रान्तर्गत द्वारा गलत काम किया गया है एवं गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया, जिसके आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 10/25 धारा 65(1)/109 बी.एन.एस. एवं धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम गंगाधर उर्फ गंगादीन पुत्र स्व0 नत्थू लाल नि0 थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर क्षेत्रान्तर्गत के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा वादिनी की पीड़ित पुत्री का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराते हुए धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत कथन अंकित किये गये। इसी क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित/नामजद अभियुक्त गंगाधर उर्फ गंगादीन पुत्र स्व0 नत्थू लाल नि0 थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर क्षेत्रान्तर्गत को चौकी शाहबाजनगर क्षेत्रान्तर्गत भारत धर्मकाँटा के पूर्व दिशा की तरफ जाने वाले चक मार्ग से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण

अभियुक्त गंगाधर उर्फ गंगादीन उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 05.01.2025 को सुबह लगभग 6.30...7.00 बजे के बीच मैं अपने खेतों की तरफ शौच करने के लिए गया था, कि तभी मेरे गाँव के xxxx की पुत्री xxxx शौच करके जैसे ही खेतों से वापस जाने लगी, तो मैंने उससे कहा कि आओ तुम्हें चीज देता हूँ, तो xxxx ने मना कर दिया, जिस पर मैं उसे जबरदस्ती खींचकर गुड्डू पुत्र बलवन्त के सरसों के खेत में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और जब xxxx चीखने की कोशिश कर रही थी। जब मैं xxxx के साथ जबरदस्ती बुरा काम कर रहा था, तो उसने अपने बचाव में काफी विरोध किया। इसीलिए मैंने उसे कब्जे में करने के लिए xxxx का मुँह दबा दिया था लेकिन फिर भी वह अपने बचाव की भरपूर कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे साथ जो कर रहे हो, मैं वह सब बात घर जाकर बताऊँगी, तो मैंने उसको पीटकर उसे डराने की भी कोशिश की थी, जिससे उसके चेहरे, गर्दन व शरीर पर कई जगह चोटें आयी थीं और मैंने उसे जान से मारने के लिए उसका गला दबा दिया। मैंने यह समझा कि वह मर गई है, तो मैं उसे वहीं छोड़कर मौके से भाग गया था और पुलिस से बचने के लिए खेतों में छिपता फिर रहा था। मैं बरेली जाने वाली ट्रेन के इन्तजार में छिपा हुआ था, कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह,
2. निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव
3. उ0नि0 श्री अनिवाश पुण्ढीर
4. उ0नि0 श्री मोहित कुमार
5. कां0 2180 प्रवीण कुमार
6. कां0 2147 शेखर